cause notice to cement companies for taking penal action against them for not packing cement in jute bags;

(b) whether the views of the users and consumers have been considered by Standing Advisory Committee of the Textile Ministry as directed by the Supreme Court in April last, while upholding the constitutional validity of Jute Packaging Act, and if not, the reasons for issuing show cause notice without inviting the views of users and consumers; and

(c) the steps proposed to be taken to save the Cement Industry which is heading for a serious crisis?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R. L. JALAPPA): (a) It is a fact that during December, 1996-January 97 the Jute Commissioner issued show cause notices to 24 cement companies for continuing violation of statutory reservation order issued by Government on 15-3-1995 stipulating packing of not less than 50% production/despatch of cement in jute packaging material.

(b) In compliance to directive of Supreme Court in its verdict given in April, 1996 the Standing Advisory Committee heard representatives of various user industries including cement industry on 21.6.1996. The Committee subsequently held its meetings on 5-7-1996, 18-9-1996 and 17-12-1996.

(c) There is no serious crisis in the Cement Industry.

Setting up of Technology Upgradation Fund for Textile Sector

554. SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to set up a Rs. 5000 crore technology upgradation fund during the Ninth Five Year Plan;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the proposed fund is envisaged to bring about substantial improvement in export performance of the textile sector; and

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) to (d) A proposal is under formulation to facilitate modernisation, through technological upgradation, of the textile industry. The intended objective is to improve production and productivity of the Indian textile industry to make it more competitive, including in the export market. Details of the Scheme are yet to be worked out.

विभिन्न संगठनों द्वारा कपास का निर्यात

555. श्री सोमपाल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष तथा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न संगठनों द्वारा कपास की कितनी-कितनी मात्रा का निर्यात किया गया तथा इन संगठनों के नाम क्या-क्या है और किस कीमत पर यह निर्यात किया गया;

(ख) भारत सरकार के उस विभाग या समिति का नाम क्या है जो कपास निर्यात करने संबंधी निर्णय लेती है;

(ग) ऐसे निर्यात किस आधार पर किये जाते हैं; और

(घ) भारत सरकार द्वारा गठित कपास सलाहकार परिषद् के वर्तमान ढांचे इसके पदाधिकारियों की सूची तथा उनके नियुक्ति संबंधी मानकों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): (क) विवरण-I संलग्न है (**नीचे देखिए**)।

(ख) और (ग) निर्यात के लिए अनुमति दी जाने वाली कपास की मांग संबंधी निर्णय वस्त्र मंत्रालय द्वारा लिया जाता है। कपास निर्यात कोटों की घोषणा करते समय सरकार एक ओर तो कपास उपजकर्ताओं तथा दूसरी ओर घरेलू उपभोक्ता क्षेत्र, विशेषकर विकेन्द्रीकृत क्षेत्र (हथकरघा बुनकरों तथा खादी उद्योग सहित) के हितों का सन्तुलन करने का प्रयास करते है। उत्पादन, उपलब्धता, घरेलू मांग, खेती की संभावना, कीमत प्रवृतियों आदि के अनुमानों सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) वर्तमान कपास सलाहकार बोर्ड का गठन संलग्न विवरण-II पर दिया गया है (**नीचे देखिये**)। बोर्ड में प्रासंगिक हितों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यह बोर्ड सरकार को सामान्यतः कपास नियन्त्रण आदेश, 1986 के कार्यक्षेत्र के भीतर मामलों सहित कपास के उत्पादन, उपभोग तथा विपणन संबंधी मामलों पर सलाह देता है तथा साथ ही कपास वस्त्र मिल उद्योग, कपास उपजकर्ताओं, कपास व्यापार, सरकार के बीच सम्पर्क के लिए एक फोरम भी प्रदान करता है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1993-94 से 1995-96 तथा वर्तमान वर्ष में 31.1.11997 तक के दौरान निर्यात किए गए कपास के एजेंसीवार ब्यौरे

(लाख गांठ में मात्रा)
(मूल्य करोड़ रु. में)

	1993-94		1994-95		1995-96		1996-97	
1. सीएसीआई	1.130	80.96	0.085	8.996	2.829	296.381	1.29522	145.2053
2. महाराष्ट्र परिसंघ	0.500	28.99	0.003	0.350	4.166	304.060	0.285	26.21
3. गुजरात			—	—	1.07	44.9043	—	
4. पंजाब परिसंघ	0.200	13.26	—	—	0.138	11.9253	—	
5. हरियाणा परिसंघ	0.110	7.65	—	—	0.047	4.1356	—	
6. राजस्थान परिसंघ	0.150	8.92	—	—	—	—	—	
7. आंध्र प्रदेश परिसंघ	—	—	—	—	0.034	3.4680		
8. तमिलनाडु परिसंघ	—	—	—	—	—	—		
9. कर्नाटक परिसंघ	—	—	—	—	0.006	0.8582		
10. मध्य प्रदेश निगम	—	—	—	—	—	—		
11. फेफेड	0.136	9.25	—	—	0.040	3.2924		
12. आंध्र प्रदेश निगम	0.017	1.08	—	—	—	—		
13. मध्य प्रदेश परिसंघ	—	—	—	—	0.089	9.9000		
14. पंजाब सिकोफेड	0.185	13.31	—	—	—	—		
15. अन्य	0.770	36.67	0.993	74.04	3.955	568.9693	0.438	33.5070
	0.695*	38.14*			**	49.3565**		
कुल:	3.893	238.230	1.081	83.386	12.241	1347.3354	2.01822	205.9223

*92-93 का अधिशेष

**94-95 का अधिशेष

स्रोत: वस्त्र आयुक्त

विवरण-II

कपास सलाहकार **बोर्ड (सी ए बी) का गठन केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि**

1.	वस्त्र आयुक्त, **मुम्बई**	**अध्यक्ष**
2.	संयुक्त सचिव, **कपास वस्त्र** मंत्रालय	**सदस्य**
3.	संयुक्त सचिव **(व्यापार) कृषि** मंत्रालय	**सदस्य**
4.	आर्थिक **तथा सांख्यिकीय** सलाहकार, कृषि **मंत्रालय**	**सदस्य**

राज्य सरकार **(5 से 7)**

5.	सरकार के सचिव/**निदेशक**	**सदस्य**
6.	**मध्य प्रदेश, पंजाब तथा कर्नाटक**	
7.	राज्यों के **कृषि प्रभारी**	

उपजकर्त्ता

8.	श्री नागेन्द्र सिंह, **राजस्थान**	**सदस्य**
9.	श्री मुकुंद रेड्डी, **आंध्र प्रदेश**	**सदस्य**
10.	श्री शंकर लाल **गुरू, गुजरात**	**सदस्य**
11.	श्री मनप्रीत बादल, **पंजाब**	**सदस्य**
12.	श्री दामोदर व्यास, **मध्य प्रदेश**	**सदस्य**
13.	श्री अजय सिंह, **राजस्थान**	**सदस्य**

उद्योग

14.	अध्यक्ष, भारतीय **कपास मिल** परिसंघ	**सदस्य**
15.	अध्यक्ष, **अखिल भारतीय** सहकारी कताई **मिल्स लि०** परिसंघ	**सदस्य**
16.	अध्यक्ष, सह **प्रबंध निदेशक** राष्ट्रीय वस्त्र **सहयोग लि०**	**सदस्य**
17.	**अध्यक्ष, दक्षिण भारतीय लघु** रिफार्स	**सदस्य**
18.	श्री ए० जी० **पिरामल, मुंबई**	**सदस्य**
19.	श्री के० जी० **बालाकृष्णन कोयम्बतूर**	**सदस्य**

व्यापार

20.	अध्यक्ष, सह **प्रबंध निदेशक,** भारतीय कपास **निगम लि०**	**सदस्य**
21.	प्रबंध निदेशक **महाराष्ट्र राज्य** सहकारी **कपास उपजकर्ता** विपणन परिसंघ **लि०**	**सदस्य**
22.	अध्यक्ष, **पूर्वीभारत कपास संघ**	**सदस्य**
23.	अध्यक्ष, **अखिल भारतीय** सहकारी कपास **परिसंघ लि०**	**सदस्य**
24.	श्री आर० बी० **लाद मुंबई-4**	**सदस्य**

गिनिंग **और प्रेसिंग क्षेत्र**

25.	पंजाब गिनर्स **परिसंघ/संघ के** अध्यक्ष	**सदस्य**

हथकरघा क्षेत्र

26.	श्री मंजूर अहमद **अंसारी बिहार**	**सदस्य**

विद्युतकरघा **क्षेत्र**

27.	श्री एम के **एन नागमनिकम** अध्यक्ष अखिल **भारतीय विद्युत** करघा परिसंघ	**सदस्य**
28.	श्री एम० **एस० माथीवनम्** अध्यक्ष तमिलनाडु **विद्युतकरघा** परिसंघ	**सदस्य**
29.	श्री ए शनिथवेल **तिरूपुर**	**सदस्य**

कपास **अनुसंधान और** विकास

30.	केन्द्रीय कपास **अनुसंधान संस्थान**	**सदस्य**

सदस्य सचिव

31.	संयुक्त वस्त्र आयुक्त वस्त्र आयुक्त **का कार्यालय**	**सदस्य**